# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, RAS

प्रकरण संख्या 53 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

[illegible] कंवर W/o छोटूलाल ब्राह्मण

निवासी [illegible] शाहपुरा

— प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

[illegible]

निवासी फुलिया खुर्द

— विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री विवेक दाधीच

अभिभाषक प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 10/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा/ ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.95 है 22 रकबा 0.30 है कुल किता 2 रकबा 1.25 हैक्टयर की प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम फुलिया खुर्द संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात की प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा फुलिया खुर्द मे स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 1 रकबा 0.95 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रूपयें कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(हाशिये पर: आ. खि. [illegible] आ. 22 रकबा 0.30 है [illegible] खाता [illegible])

निर्णय आज दिनांक 10/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा))

(के. आर. यादव)

उपखण्ड अधिकारी